HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc. Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2469/2025

in

S.B. Criminal Appeal No. 3174/2025

1. Badri Devi W/o Sita Ram, Aged About 46 Years, Resident Of Raghunathpura, Police Station Deoli, District Tonk, Rajasthan. (The Accused Presently Confined In District Jail, Tonk)
2. Gopali @ Kishan W/o Madhu Ram, Aged About 43 Years, Resident Of Raghunathpura, Police Station Deoli, District Tonk, Rajasthan. (The Accused Presently Confined In District Jail, Tonk)

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nishant Sharma, Adv. Mr. Anmol Dhakar, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini & Mr. Vivek Choudhary, PP Mr. Vijendra Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

05/05/2026

1. प्रार्थी–अभियुक्तगण की ओर से धारा 430 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रस्तुत सजा स्थगन/जमानत आवेदनों पर दोनों पक्षों को सुना गया। विद्वान विचारण न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं पत्रावली पर उपलब्ध कानूनी व तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया गया।

2. विचारण न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश कैम्प देवली, जिला–टोंक द्वारा सेशन प्रकरण संख्या **05/2018** में पारित निर्णय दिनांक 28.11.2025 के माध्यम से प्रार्थी–अभियुक्तगण को धारा **148, 341, 323, 325, 307/149**

भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्ध घोषित कर अधिकतम दस वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया गया है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण का निवेदन है कि प्रार्थी–अभियुक्तगण निर्दोष महिलाएं हैं, घटना आकस्मिक रूप से घटित हुई है जिसमें अभियुक्त पक्ष के व्यक्ति प्रधान के साथ मारपीट की गयी और उसके परिणामस्वरूप परस्पर संघर्ष होना माना जा सकता है, ऐसी परिस्थिति में सभी अभियुक्त अपने–अपने कृत्यों के लिए दायित्वाधीन हो सकते हैं। यह भी निवेदन किया कि अभियुक्ता बद्रीदेवी के विरूद्ध एक आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज हुआ है जो तुच्छ प्रकृति का है, जबकि अभियुक्ता गोपाली उर्फ किशन के विरूद्ध पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, दोषसिद्धी हेतु पत्रावली पर कोई विश्वसनीय तथा विधितः स्वीकार्य सुदृढ साक्ष्य नहीं रही है, अपील के निस्तारण में समय लगेगा, अपील में अभियुक्तगण के दोषमुक्त होने की पूर्ण संभावना है। करीब छः माह की सजा भुगत चुकी हैं, अन्त में सजा स्थगित किये जाने का निवेदन किया।

4. उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए योग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री, सुदृढ साक्ष्य आदि को देखते हुए सजा स्थगन आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया एवं समस्त तथ्यों पर विचार किया गया। वर्तमान मामले में अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उन्होंने एकराय होकर आहत पोलू, सिन्टू, गीता, दिलबर आदि के साथ घातक हथियारों से लेस होकर मारपीट की। आहत पोलूराम के प्राणघातक चोट होना प्रकट हुआ है तथा उसके संबंध में अधिकांश गवाहान ने भी यह कथन किये हैं कि उक्त चोट सह–अभियुक्त सीताराम तथा माधूराम द्वारा पहुंचायी गयी हैं। अभियोजन साक्षीगण के कथनों के भी यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच सम्पत्ति संबंधी विवाद है तथा अभियुक्त पक्ष के माधूराम के साथ मारपीट होने के परिणामस्वरूप यह घटना परस्पर घटित होना बताया गया है। यद्यपि गवाह पी.डब्लू–4 महावीर, पी.

डब्लू–5 बलदेव तथा पी.डब्लू–6 छोटूलाल पक्षद्रोही रहे हैं, परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी, आहतगण तथा चिकित्सीय साक्ष्य आदि के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करार दिया है। सह–अभियुक्त सीताराम तथा माधूराम से वर्तमान दोनों प्रार्थी–अभियुक्तगण बद्रीदेवी तथा गोपाली का मामला भिन्न है, वे दोनों महिलाएं हैं तथा आरोपित दोषसिद्धी के मुकाबले छः माह की अभिरक्षा भुगत चुकी हैं। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा जो तर्क उठाये हैं, वे गंभीरता से विचारण योग्य हैं।

6. अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्तगण द्वारा सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तर्कों, प्रस्तुत अपीलों में उठाये गये कानूनी मुद्दों आदि को ध्यान में रखते हुए, गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, उक्त सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामतः उक्त सभी सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी–अभियुक्तगण **1. बद्रीदेवी पत्नी सीताराम तथा 2. गोपाली उर्फ किशन पत्नी माधूराम** इस न्यायालय में **दिनांक 05.06.2026** को एवं तत्पश्चात जब भी उन्हें आदेशित किया जावे, अपनी उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा **एक लाख रूपये** का बंधपत्र एवं **पचास–पचास हजार रूपये** की दो जमानतें विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे एवं **विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा** पारित आक्षेपित निर्णय **दिनांकित 28.11.2025** के तहत दिये गये **दण्डादेश** का क्रियान्वयन अपील के अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Mittal /37